



2026:AHC:57359

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9365 सन् 2026

विवेक बाल्मीकि

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : आशुतोष

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री पवन कुमार, अधिवक्ता, जो श्री आशुतोष, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुए, तथा श्री रोशन कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से, को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, अपराध संख्या 0704 सन् 2025, धारा 324(4), 333, 191(2), 193(3), 190, 352, 109(1), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत, थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत मामले में विचारण लम्बित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि प्राथमिकी में यह अभिकथन किया गया है कि आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रथम सूचनादाता पर गोली चलाई तथा तत्पश्चात् उसे निर्दयतापूर्वक पीटा। यह भी निवेदन किया गया है कि चोट आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़ित को कोई चोट नहीं आई है और चोट आख्या में जो चोटें दर्शाई गई हैं, वे भी कठोर एवं भोँथरी वस्तु से लगी साधारण प्रकृति की हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक ने संलग्न शपथ-पत्र में तीन वादों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त कार्तिक को इस न्यायालय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6259 सन् 2026 में दिनांक

20.02.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है, अतः अभिरक्षीय पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है तथा वह दिनांक 31.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।

5. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के उपरान्त तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए, कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लम्बितता को ध्यान में रखते हुए, तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के वाद में दिये गये निर्णय के निदेश को ध्यान में रखते हुए, एवं वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है।

6. आवेदक **विवेक बाल्मीकि**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत मुचलका एवं उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय के समक्ष अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाये या साक्ष्य से छेड़छाड़ करे।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किये विचारण/जाँच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक क्रियाकलाप में अथवा किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।
8. मुचलके स्वीकार किये जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, हैसियत एवं आवास का सत्यापन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा किया जाये।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित की गई हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाये।
10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए रिहाई आदेश को जमानत आदेश प्रबन्धन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से सम्बन्धित कारागार को प्रेषित करे।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा प्रेषित करे, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, संदर्भ : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ, जो (2024) 10 एससीसी 685 में अंकित है, के आदेश के अनुपालन में है।**

19 मार्च, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

एस.सी.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।